



## छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

वित्त समिति दिनांक : 17-02-2014, पूर्वाह : 11:30 बजे, दिन : सोमवार

स्थान : एकेडमिक भवन, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

में आयोजित बैठक की कार्यवाही

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए —————

- |  |         |
|--|---------|
| 1. प्रो. जे०वी० वैशम्पायन<br>कुलपति,<br>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,<br>कानपुर                                | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती इन्दू सक्सेना<br>क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर<br>(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि) | सदस्य   |
| 3. श्री एस०पी० सिंह<br>संयुक्त निदेशक, कोषागार, कानपुर<br>(प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित प्रतिनिधि)                  | सदस्य   |
| 4. श्री नरेन्द्र भूषण<br>सी-२ / १८२, सेक्टर-एफ<br>जानकीपुरम्, लखनऊ<br>(कार्यपरिषद द्वारा नामित प्रतिनिधि)              | सदस्य   |
| 5. श्री संथद वकार हुसैन<br>कुलसचिव<br>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,<br>कानपुर                                  | सदस्य   |
| 6. श्री धर्मेन्द्र वर्मा<br>वित्त अधिकारी,<br>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,<br>कानपुर                          | सचिव    |

**:: कार्यवाही ::**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए परिचय कराया गया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 :: 01

पिछली वित्त समिति की बैठक की कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

पिछली वित्त समिति की बैठक दिनांक 20 मई, 2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं0 :: 02

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 का वास्तविक आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 का पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा वर्ष 2014-15 का प्रस्तावित आय-व्ययक के अनुमानों को अनुमोदित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

समिति के समक्ष विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 के वास्तविक आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा वर्ष 2014-15 के प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमानों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(2) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के आयोजनेतर मद के राजस्व/आवर्तक व्ययों, आयोजनागत मद के पूँजीगत व्ययों तथा स्ववित्त पोषित योजनाओं से सम्बन्धित राजस्व/आवर्तक व्ययों की सीमाएं निम्नवत् निर्धारित की गयी—

<u>आयोजनेतर मद (Non Plan)</u>	(धनराशि ० में)
राजस्व/आवर्तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14
	1037094000.00
	वित्तीय वर्ष 2014-15
	1079249000.00
<u>आयोजनागत मद (Plan)</u>	(धनराशि ० में)
पूँजीगत व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14
	160000000.00
	वित्तीय वर्ष 2014-15
	200000000.00
<u>स्ववित्त पोषित आय-व्ययक</u>	(धनराशि ० में)
राजस्व/आवर्तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14
	185302892.00
	वित्तीय वर्ष 2014-15
	238042838.00

(इस प्रतिबन्ध के साथ कि नियमानुसार व्यय, आय से अधिक नहीं होगा।)

प्रस्ताव सं0 :: 03

विश्वविद्यालय की 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय एवं बैलेन्स शीट के अनुमोदन पर विचार।

मेसर्स डी. फरसाईया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, स्वरूप नगर, कानपुर द्वारा आडिटेड विश्वविद्यालय की 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय एवं बैलेन्स शीट का अनुमोदन किया गया।

(१)

प्रस्ताव सं0 :: 04

पी०एच-डी० प्रोग्राम में प्रवेश हेतु डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय संयुक्त पात्रता परीक्षा पी०एच०-डी० वर्ष 2012 के पात्र अभ्यर्थियों के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में प्रवेश हेतु आवेदन शुल्क निर्धारित किये जाने पर विचार।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पी०एच-डी० प्रोग्राम में प्रवेश हेतु डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय संयुक्त पात्रता परीक्षा पी०एच०-डी० वर्ष 2012 के पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु '1000/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु '500/- आवेदन शुल्क वित्त समिति/कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में अभ्यर्थियों से लिया गया था, जिसको वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं0 :: 05

कानपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी एसोसिएशन, कानपुर के मांग पत्र पर विचार।

कानपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी एसोसिएशन, कानपुर के मांग पत्र दिनांक 27.07.2013 के बिन्दु संख्या-4 'उपाधि निरीक्षण का भुगतान ' 30/- प्रति जोड़ा (दो कर्मचारी) से किया जाय, साथ ही उपाधि निरीक्षण का भुगतान अंकतालिका की तरह सामूहिक किया जाय" पर विचारोपरान्त समिति का मत है कि इस प्रस्ताव को पूर्ण विवरण के साथ आगामी वित्त समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव सं0 :: 06

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एम०फिल० (शिक्षाशास्त्र) में अतिथि प्रवक्ताओं हेतु मानदेय ' 500/- प्रति व्याख्यान के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एम०फिल० (शिक्षाशास्त्र) में अतिथि प्रवक्ताओं हेतु मानदेय ' 500/- प्रति व्याख्यान किये जाने का प्रस्ताव को आगामी वित्त समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

प्रस्ताव सं0::07

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22.07.2013 के मद सं0-3 पर लिये गये निर्णय पर विचार।

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22.07.2013 के मद सं0-03 पर सर्वसम्मति से पाँच वर्षीय बी०ए०-एलएल०बी० (आनर्स), एम०फिल० इन गांधीयन स्टडीज, डिप्लोमा इन फ्रेंच जर्मन एवं स्पैनिश पाठ्यक्रमों में छात्रों से लिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों यथा— शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि के निर्धारण पर विचारोपरान्त समिति का मत है कि शुल्कों के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जाय। समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(८)

प्रस्ताव सं0::08

विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित होटल एण्ड टूरिज्म मैनेजमेन्ट हेतु इम्प्रेस्ट मनी में वृद्धि कर ` 20000/- किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित होटल एण्ड टूरिज्म मैनेजमेन्ट में पाक कला की प्रयोगशाला संचालित होने के फलस्वरूप इम्प्रेस्ट मनी ` 2000/- से वृद्धि कर ` 20000/- किये जाने का प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त इम्प्रेस्ट मनी ₹ 10000/- किये जाने पर सहमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि ` 1000/- अथवा उससे अधिक धनराशि व्यय किये जाने की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

प्रस्ताव सं0::09

शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.08.2013 के मद संख्या-4(क)(ख)(ग)(ड)(ज)(झ)(ञ) पर लिये गये निर्णयों पर विचार।

शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.08.2013 के मद संख्या-4(क)(ख)(ग)(ड)(ज)(झ)(ञ) पर लिये गये निर्णयों पर विचार किये जाने का प्रस्ताव पर वित्त समिति का मत है कि पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव आगामी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव सं0::10

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त इस हेतु गठित समिति का प्रस्ताव निम्नवत् स्वीकार किया गया।

क्र.सं.	पद नाम	वर्तमान	संशोधित
1.	प्रबक्ता	19680.00	29520.00
2.	वरिष्ठ प्रबक्ता	24600.00	36900.00
3.	उपचार्य	29520.00	44280.00
4.	फील्ड सुपरवाइजर रिसेप्शनिस्ट, कम-कम्प्यूटर ऑपरेटर, टेक्नीकल असिस्टेन्ट	12300.00	18450.00
5.	जूनियर मैकेनिक	11050.00	16580.00
6.	डाटा एन्ट्रीआपरेटर/स्टोर कीपर लैब असिस्टेन्ट	9850.00	14780.00
7.	टर्नर, हेल्पर, अनुचर आदि	6250.00	9380.00

मानदेय की उपरोक्त दरें दिनांक 01.04.2014 से लागू होगी।

(P)

### प्रस्ताव सं0::11

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के छात्र/छात्राओं की परीक्षा शुल्क को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त जमा करने पर आर्थिक दण्ड का प्राविधिन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार।

1. महाविद्यालय/संस्थाओं हेतु परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की निर्धारित तिथि के उपरान्त 07 कार्य दिवसों तक की अवधि हेतु 25/- प्रति छात्र की दर से दण्ड का प्राविधान किया जाना।
2. महाविद्यालय/संस्थाओं हेतु परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की निर्धारित तिथि के उपरान्त बिन्दु-01 के अन्तर्गत निर्धारित तिथि से अगले 07 कार्य दिवसों तक 50/- प्रति छात्र की दर से दण्ड का प्राविधान किया जाना।
3. महाविद्यालय/संस्थाओं हेतु परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की निर्धारित तिथि के उपरान्त बिन्दु-02 के अन्तर्गत निर्धारित तिथि से अगले 07 कार्य दिवसों तक 100/- प्रति छात्र की दर से दण्ड का प्राविधान किया जाना।
4. बिन्दु-01 से 03 के अन्तर्गत निर्धारित तिथियों में महाविद्यालय/संस्थाओं द्वारा छात्रों से संकलित शुल्क न जमा करने वाले महाविद्यालयों के सम्बन्ध में दण्डात्मक कार्यवाही—(अर्थदण्ड अथवा प्रशासनिक कार्यवाही) माननीय कुलपति जी द्वारा निर्धारित किया जाना।

विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

### प्रस्ताव सं0::12

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में केन्द्र व्यय हेतु आकस्मिक मद में 5/- प्रति छात्र के स्थान पर मंहगाई के दृष्टिगत 10/- प्रति छात्र दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में केन्द्र व्यय हेतु आकस्मिक मद में वर्ष 2005 से स्वीकृत 5/- प्रति छात्र के स्थान पर मंहगाई के दृष्टिगत 08/- प्रति छात्र दिये जाने के प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा सस्तुति प्रदान की गयी।

### प्रस्ताव सं0::13

भवन निर्माण समिति तथा क्रीड़ा समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु बजट अनुमोदन पर विचार।

भवन निर्माण समिति तथा क्रीड़ा समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में जिम निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। वित्त समिति द्वारा उन मदों, जिनके लिए अंशतः धनराशि निर्गत की जा चुकी है, पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। शेष का प्रस्ताव क्रीड़ा समिति तथा भवन निर्माण समिति से पारित कराकर आगामी वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

(W)

प्रस्ताव सं0::14

वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.02.2010 के मद संख्या-12 पर लिये गये निर्णय के अनुसार अंकतालिका प्रेषण के कार्य हेतु ' 1.50 प्रति छात्र की दर से किये जा रहे भुगतान के समान ही परीक्षार्थियों की उपाधियों को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी कार्य हेतु पारिश्रमिक भुगतान ' 1.50 प्रति छात्र स्वीकृत/निर्धारित किये जाने पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.02.2010 के मद संख्या-12 पर लिये गये निर्णय के अनुसार अंकतालिका प्रेषण के कार्य हेतु ' 1.50 प्रति छात्र की भाँति परीक्षार्थियों की उपाधियों को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान ' 1.50 प्रति छात्र स्वीकृत/निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव पर विचारोपरान्त वित्त समिति का मत है कि पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव आगामी वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव सं0:: 15 अन्य विषय (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

मद संख्या :: 15(क)

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2013-14 की बैलेन्स शीट तथा आय-व्ययक विवरण तैयार किये जाने हेतु मेसर्स डी. फरसाईया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, स्वरूप नगर, कानपुर को नामित किये जाने तथा उक्त संदर्भित कार्य हेतु पारिश्रमिक निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2012-13 की बैलेन्स शीट तथा आय-व्ययक विवरण मेसर्स डी. फरसाईया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, स्वरूप नगर, कानपुर को नामित किया गया था तथा उक्त कार्य हेतु पारिश्रमिक ' 1,80,000 + सेवा कर स्वीकृत किया गया था। विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2013-14 की बैलेन्स शीट तथा आय-व्ययक विवरण तैयार किये जाने हेतु मेसर्स डी. फरसाईया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, स्वरूप नगर, कानपुर को नामित किया गया तथा उक्त कार्य हेतु पारिश्रमिक ₹ 2,20,000.00 + सेवा कर निर्धारित किया गया। मेसर्स डी. फरसाईया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, स्वरूप नगर, कानपुर विश्वविद्यालय के सभी खातों का बैंक रिकार्डलेशन स्टेटमेन्ट भी प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव सं0 :: 15(ख)

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन विभाग में अतिथि प्रवक्ताओं हेतु मानदेय ' 300/- प्रति व्याख्यान से पुनरीक्षित करते हुए ' 500/- प्रति व्याख्यान के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन विभाग में अतिथि प्रवक्ताओं हेतु मानदेय ' 300/- प्रति व्याख्यान से पुनरीक्षित करते हुए ' 500/- प्रति व्याख्यान का प्रस्ताव आगामी वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

अन्त में अध्यक्ष जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

( धर्मेन्द्र वर्मा )

वित्त अधिकारी/सचिव

( प्रो. जे०वी० वैशम्पायन )

कुलपति/अध्यक्ष

17/2/14